

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 25 / 03 / 2023

## आवश्यक- सूचना

महाविद्यालय के B.A.LL.B, B.B.A.LL.B, LL.B & LL.M के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपकी कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। आपके इस सेमेस्टर में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति हुई तो आपका परीक्षा फार्म अप्रुव नहीं किया जावेगा साथ ही साथ आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में भी बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी। यदि आपका 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं होती है तो इसके लिये विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे और महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



(प्रो. नरेन्द्र देव)

प्रभारी प्राचार्य,  
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर  
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर